



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175684

दिनांक 19.05.2026 को सुरक्षित

दिनांक 20.08.2026 को पारित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आदेश से प्रथम अपील संख्या - 2163/2004

उ0प्र0 राज्य एवं एक अन्य

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

श्रीमती विमला देवी

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : एस.सी.

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : मोहनीश चन्द्र, प्रणवेश, राजीव तिवारी, एस.एन. सिंह

चैम्बर में

माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान

- 1- पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
- 2- वर्तमान अपील मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/जनपद न्यायाधीश, कन्नौज द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या 71/70/2000 में पारित दिनांक 30.01.2003 के निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए मृतक की पत्नी-प्रतिवादीगण के पक्ष में रु. 1,87,834/- की राशि 9% ब्याज सहित अधिनिर्णीत की गई।
- 3- प्रकरण के तथ्य यह हैं कि एक रमेश चंद्र अपने एक रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था और दिनांक 03.05.2000 को ग्राम भूरा से थाना गुरसहायगंज की ओर आ रहा था। जब रमेश चंद्र ग्राम अकबरपुर में तालाब के निकट पहुंचा, तो पुलिस उपमहानिरीक्षक के सरकारी वाहन, जिसका पंजीकरण संख्या यू.पी. 32 ए.बी. 1814 था, ने मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दी, जिसे तेजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था। दुर्घटना में रमेश चंद्र को गंभीर चोटें आईं और उपचार के लिए उसे लोहिया अस्पताल, फतेहगढ़ में भर्ती कराया गया। तत्पश्चात रमेश चंद्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को रीजेंसी अस्पताल, कानपुर ले जाया गया और फिर पुनः लोहिया अस्पताल लाया गया। दुर्घटना में आई चोटों के कारण दिनांक 11.05.2000 को रमेश चंद्र की मृत्यु हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम लोहिया अस्पताल, फतेहपुर में किया गया। मृतक के पश्चात उसकी विधवा-प्रतिवादी तथा दो नाबालिग पुत्रियां और एक नाबालिग पुत्र हैं।

4- प्रतिवादी ने तत्पश्चात मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष अपने पति रमेश चंद्र की दिनांक 03.05.2000 को सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण रु. 4 लाख की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए दावा याचिका दाखिल की। आक्षेपित वाहन के चालक ने कार्यवाही में अपना लिखित कथन दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि मोटरसाइकिल को ही तेजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई और इस प्रकार अपीलार्थीगण पर कोई दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिकरण ने पक्षकारों के सभी अभिवचनों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात प्रतिवादी के पक्ष में अपीलार्थीगण के विरुद्ध याचिका दाखिल किए जाने की तारीख से 9% ब्याज सहित रु. 1,87,834/- की राशि अधिनिर्णीत की।

5- अपीलार्थीगण, दिनांक 30.01.2003 के अधिनिर्णय से क्षुब्ध होकर, मूलतः इस आधार पर वर्तमान अपील दाखिल की है कि दुर्घटना मृतक द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी और लापरवाही से चलाए जाने के कारण हुई तथा अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति मनमानी और अत्यधिक है।

6- इस न्यायालय ने प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन किया है और पाया है कि विद्वान अधिकरण ने मुद्दा संख्या 1 इस आशय का विरचित किया था कि क्या पंजीकरण संख्या यू.पी. 32 ए.बी. 1814 वाला सरकारी वाहन तेजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिसके कारण दुर्घटना हुई और रमेश चंद्र की मृत्यु हुई।

7- विद्वान अधिकरण ने उक्त मुद्दे का विनिश्चय करते समय राम किशोर के मौखिक साक्ष्य पर विचार किया, जो दुर्घटना के समय मृतक के साथ पीछे बैठा हुआ था और प्रत्यक्षदर्शी भी था। विद्वान अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि दुर्घटना के संबंध में सामान्य डायरी में प्रविष्टि की गई थी, तथापि पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई विवेचना नहीं की गई, संभवतः इस तथ्य को देखते हुए कि संलिप्त वाहन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की सरकारी कार थी। दावेदारों का कथन यह था कि एम्बेसडर कार, जिसे तेजी से चलाया जा रहा था, एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय मोटरसाइकिल से टकरा गई, जबकि सरकारी वाहन चला रहे चालक की ओर से यह



अभिकथित किया गया कि ट्रैक्टर को ओवरटेक मोटरसाइकिल द्वारा किया जा रहा था और ऐसा करते समय वह एम्बेसडर कार से टकरा गई।

8- विद्वान अधिकरण ने उक्त मुद्दे का विनिश्चय करते समय यह स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि दुर्घटना के संबंध में कोई विवेचना न किए जाने में पुलिस अधिकारियों की ओर से चूक हुई थी। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि दुर्घटना में संलिप्त वाहन पुलिस विभाग का था। इसके अतिरिक्त, मृतक अथवा पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए ट्रैक्टर का पंजीकरण नंबर नोट करना और ट्रैक्टर के चालक का पता लगाना संभव नहीं था, ताकि वे दुर्घटना के संबंध में सही तथ्य प्रस्तुत कर सकें। अतः अपीलार्थीगण और पुलिस अधिकारियों की ओर से हुई इस चूक के लिए दावेदार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

8- यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि दुर्घटना के समय एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कार में लखनऊ से आगरा जा रहा था और जल्दी में था (चालक के लिखित कथन के अनुसार अधिकारी को वी.आई.पी. ड्यूटी के लिए आगरा पहुंचना था)। वाहन को लखनऊ से दुर्घटना स्थल तक पहुंचने में चार घंटे लगे, जो 180 कि.मी. की दूरी पर था। रास्ते में कानपुर सहित कई जिले पड़ते थे, जो अत्यधिक आबादी वाले हैं और जाहिर है कि इन जिलों को पार करते समय वाहन की गति कम हुई होगी। अतः यह स्पष्ट है कि वाहन ने दूरी अपेक्षाकृत कम समय में तय की थी और स्पष्टतः उसे 50-55 कि.मी. प्रति घंटा की गति से चलाया जा रहा था। सामान्यतः आम जनता अपने वाहनों की गति कम कर देती है और वी.आई.पी. वाहनों को रास्ता देती है और इस प्रकार, दुर्घटना में संलिप्त वाहन सहित वी.आई.पी. वाहन सामान्यतः तेज गति से चलाए जाते हैं।

9- जहां तक तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने के प्रश्न का संबंध है, यह न्यायालय विद्वान अधिकरण के निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाता है। विशेष रूप से, अपीलार्थीगण स्वयं यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे कि मोटरसाइकिल को तेजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था, जबकि घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध बयान दिया था। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना के संबंध में कोई विवेचना करने में विफल रहने में अपीलार्थीगण की ओर से हुई चूक के लिए दावेदार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जबकि उन्हें उसके संबंध में समुचित जानकारी थी।

10- जहां तक क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत किए जाने के प्रश्न का संबंध है, विद्वान अधिकरण ने मृतक की आयु 35 वर्ष मानी और प्रतिवादी के इस तर्क को कि मृतक निजी रूप से नियोजित था, उसके



समर्थन में किसी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार करते हुए, विद्वान अधिकरण ने मृतक की वार्षिक आय रु. 15,000/- निर्धारित की। तत्पश्चात, विद्वान अधिकरण ने मृतक की वार्षिक आय का एक-तिहाई व्यक्तिगत एवं जीवन-यापन के खर्चों के लिए घटाया और अभिनिर्धारित किया कि रु. 10,000/- की राशि प्रतिवादी और उसके बच्चों के भरण-पोषण एवं देखभाल के लिए उपलब्ध थी। 17 के गुणक को लागू करने के पश्चात प्रतिवादी को देय क्षतिपूर्ति रु. 1,70,000/- निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिकरण ने आश्रितता की हानि के रूप में रु. 10,000/-, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए रु. 2,000/- तथा मृतक के उपचार के दौरान किए गए चिकित्सा व्ययों के लिए रु. 5,834/- की राशि अधिनिर्णीत की। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी दावा दाखिल किए जाने की तारीख से 9% ब्याज सहित रु. 1,87,834/- की राशि की हकदार थी।

11- अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि मृतक की आयु को देखते हुए क्षतिपूर्ति निर्धारित करते समय 16 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था। तथापि, यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अत्यंत अल्प राशि की क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत की गई है, इस तथ्य को देखते हुए कि परिवार ने अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया था और उसके पीछे तीन नाबालिग बच्चे और एक विधवा रह गए थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि मृतक के चार आश्रित पारिवारिक सदस्य थे, मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती 25% होनी चाहिए थी, न कि 30%, जैसा कि विद्वान अधिकरण द्वारा माना गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विद्वान अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति अत्यधिक थी।

12- अतः, अपील में कोई गुण-दोष नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान)

20 अगस्त, 2026

नदीम